न्यायालय:—न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला (म०प्र०) (पीठासीन अधिकारी—धन कुमार कुडोपा)

<u>दांडिक0प्र0क0-105 / 16</u> संस्था0दि0 21 / 03 / 16 फाईलनं. 233504000252016

मध्य प्रदेश शासन द्धारा आरक्षी केन्द्र, थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

____<u>अभियोजन</u>

-: <u>विरूद</u>्ध:--

नंदिकशोर पिता तेजीलाल, उम्र 40 वर्ष, जाति किराड़, पेशा—मजदूरी, नि0ग्राम ससावड़, थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

---- <u>अभियुक्त</u>

<u>—: निर्णय :—</u> (आज दिनांक 16/08/2016 को घोषित)

- 1— अभियुक्त के विरूद्ध भा0दं0वि० की धारा 498 "ए", 324 के तहत् अभियोग है कि दिनांक 04/03/16 समयस 10 बजे व इसके पूर्व से फरियादिया का घर ससुराल, ससावड़, आमला, थाना आमला, जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादिया ममता जो कि एक स्त्री है, के यथा स्थिति पति अथवा पति के नातेदार होते हुये दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कुरता कारित की, आपने फरियादिया का गर्दन दबाकर मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।
- 2— अभियुक्त के विरूद्ध भा०द०वि० की धारा 498 "ए" 324 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप थे। दिनांक 16/08/16 को फरियादी ममता के द्वारा राजीनामा आवेदन पत्र पेश किया गया जो स्वीकार योग्य न होने से राजीनामा आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
- 3— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना प्रभारी आमला को उसके पित नंदिकशोर नरवरे द्वारा शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित करने तथा मारपीट करने की रिपोर्ट बाबत् आवेदन पेश किया। फरियादी ग्राम ससावड रहती है। घर में उसके पित तथा उनकी माँ एवं भानजी रहते है। उसके पित नंदिकशोर शराब पीने के आदि है जो अक्सर किसी न किसी बात पर उसके झगडा एवं मारपीट करते है गाली गलौच कर मारपीट करते है। उसके पित छोटी छोटी बातों को लेकर रोजाना लडाई झगडा करके उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित करते है। रिपोर्ट करती हूँ कार्यवाही की जावे।
- 4— फरियादी का लिखित आवेदन प्र0पी० 1 है। प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की गई जो प्र0पी० 2 है। जिसके आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 101/16 भा.द.

सं धारा—498 "ए", 324 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया। मेडिकल मुलाहिजा, सूचना पत्र, साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया, अभियुक्त को गिरफ्तार गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

5— अभियुक्त के विरूद्ध धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण में कहा कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

6- : न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1—"क्या दिनांक 04/03/16 समयस 10 बजे व इसके पूर्व से फरियादिया का घर ससुराल, ससावड़, आमला, थाना आमला, जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादिया ममता जो कि एक स्त्री है, के यथा स्थिति पित अथवा पित के नातेदार होते हुये दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कुरता कारित की?"

2— ''उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने फरियादिया का गर्दन दबाकर मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की?''

—: <u>निष्कर्ष एवं उसके आधार</u>ः— विचारणीय प्रश्न क0 1, 2 का निराकरण

- 7— सुविधा की दृष्टि से विचारणीय प्रश्न कं. 1, 2 का निराकरण साथ में किया जा रहा है। क्योंकि प्रकरण में साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हों।
- अभियोजन साक्षी ममताबाई (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि आरोपी उसका पति है। आरोपी नंदिकशोर के साथ उसका विवाह जाति रिति रिवाज के साथ ग्राम सर्रा मुलताई में हिन्दू रिति रिवाज के साथ हुई थी। शादी में उसके पिताजी ने उसकी हैसियत के मुताबिक दान दहेज दिया था। शादी के बाद वह उसके ससुराल ग्राम ससावड चली गई थी। शादी के बाद घरेलू बातों को लेकर उसके पति नंदकिशोर के साथ उसका विवाद छोटी-छोटी बातों को लेकर होता था। आरोपी उससे दहेज की मांग नहीं की थी। आरोपी ने उसके साथ झगडा मारपीट नहीं किया था। उसने घटना की शिकायत पुलिस थाना आमला में की थी जो प्र0पी0 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है । उसकी लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 2 लेख की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। शासन की ओर से पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि उसका पति आरोपी नंदिकशोर दहेज की मांग को लेकर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करता था। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि उसका पति शराब के नशे में में घर आकर उसे मारपीट करता था। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि दिनांक 04.03.2016 को आरोपी ने उसका गला पकडकर हाथ मुक्कों से उसके साथ मारपीट से की थी जिससे उसे काफी चोट आई थी। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि

उसने पुलिस को लिखित शिकायत प्र0पी0 1 एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 2 के बी से बी भाग का कथन दिया था। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस को प्र0पी0 3 का ए से ए भाग का बयान दी थी। आगे इस गवाह ने स्वीकार किया है कि उसका आरोपी से उसकी मर्जी से राजीनामा हो गया है और वह आरोपी को साथ ही रह रही है।

- 9— आगे इस गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 5 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि वह आरोपी के प्रति कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। यह गवाह स्वयं फरियादी है और उक्त गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित कर कुरता कारित करने तथा फरियादिया का गर्दन दबाकर मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य के मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा से भा0दं0वि0 की धारा 498 "ए" 324 के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।
- 10— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी को शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क़ुरता की। उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह भी स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी से फरियादिया का गर्दन दबाकर मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं. 1, 2 का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से किया जाता है।
- 11— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्धारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति—युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादिया ममता जो कि एक स्त्री है, के यथा स्थिति पित अथवा पित के नातेदार होते हुये दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कुरता कारित की। उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्धारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति—युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी से फरियादिया का गर्दन दबाकर मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की। इस प्रकार अभियुक्त नंदिकशोर को भा0द0वि0 की धारा—498 "ए", 324 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 12— अभियुक्त के धारा—313 द0प्र0स0 के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलका भारमुक्त किया जावे। अभियुक्त का धारा 428 द0प्र0सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।
- 13— प्रकरण में सम्पत्ति कुछ नहीं है। निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(धनकुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, जिला बैतूल म0प्र0 (धनकुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, जिला बैतूल म0प्र0